अनुदान संख्या 82 – पेय जल पूर्ति विभाग
GRANT No. 82–DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	3301,39,00		3549,39,00	3283,51,46	–265,87,54
पूरक	Supplementary	248,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					249,55,65

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (26587.54 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 24800.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.26587.54 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.24800.00 lakhs obtained in December, 2004 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2215'' जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	176007.00	157723.19	156090.67	–1632.52
पू.	S.	7320.00			
पु.	R.	–25603.81			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	33000.00	. .	. .	. .
पू.	S.	2480.00			
पु.	R.	–35480.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	120975.00			
पू.	S.	15000.00	172102.16	172102.31	+0.15
पु.	R.	36127.16			

(I) 36042.00 लाख रु. का प्रावधन चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 35980.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2215'' - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ इत्यादि से सहायता''- 500.00 लाख रु. विश्व बैंक के संघटक 'डी' के बंद होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान''- 35480.00 लाख रु. (2480.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2215'' - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राज्य बोर्ड, प्राधिकरणों इत्यादि को अनुदान'' के अंतर्गत 135827.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7320.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 143147.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा कम दावे किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण भी 25251.60 लाख रु. (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(I) Provision of Rs.36042.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.35980.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2215" – "Water Supply - Rural Water Supply Programme –Assistance from WHO/UNICEF etc."- Rs.500.00 lakhs - due to closure of Component 'D' of World Bank.

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.35480.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.2480.00 lakhs) - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2215"-"Water Supply-Rural Water Supply Programme-Grant to State Boards, Authorities etc." - the original provision of Rs.135827.00 lakhs was augmented to Rs.143147.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7320.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.25251.60 lakhs (including supplementary grant) - due to less claims by State Governments and also on account of cut imposed at revised estimates stage.

(III) मुख्य शीर्ष ''2215'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम''-

(क) ''राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन'' - 269.05 लाख रु. की बचत (585.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभाग के अधिकारियों द्वारा कम दौरे किए जाने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण भी हुई।

(ख) ''अनुसंधान''- 189.83 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान संस्थानों से अधूरे प्रस्ताव प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''मानव संसाधन विकास''- 600.00 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के कम/विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन''- 473.68 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निवास सर्वेक्षण 2003 के वैधीकरण की पिछली जमा अदायगियों को अगले वित्तीय वर्ष तक ले जाने के कारण हुई।

(ङ) ''सूचना, शिक्षा और संचार''- 478.47 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों संबंधी प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(च) ''प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण''- 200.16 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''जल निकासी और सफाई - सफाई सेवाएं - अनुवीक्षण और मूल्यांकन''- 196.40 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - मानव संसाधन विकास'' के अंतर्गत 590.00

(III) Under Major Head "2215" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Water Supply – Rural Water Supply Programme" -

(a) "Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission"- saving of Rs.269.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.585.00 lakhs) was due to less tours by officers of the department and also on account of receipt of less proposals.

(b) "Research"- saving of Rs.189.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals from Research Institutions.

(c) "Human Resources Development"- saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to less/late receipt of proposals.

(d) "Monitoring and Evaluation"- saving of Rs.473.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to spill over of validation of habitation survey 2003 to the next financial year.

(e) "Information, Education and Communication"- saving of Rs.478.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for Information, Education and Communication activities.

(f) "Management Information System and Computerisation"- saving of Rs.200.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs);

(B) "Sewerage and Sanitation-Sanitation Services-Monitoring and Evaluation" - saving of Rs.196.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Water Supply – Rural Water Supply Programme-Human Resource Development"- saving of

लाख रु. की बचत (740.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपुर्यक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियां जारी किए जाने संबंधी कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल निकासी और सफाई-सफाई सेवाएं - जिला जल एवं सफाई समितियों, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों आदि को अनुदान''- 1019.44 लाख रु. का अधिक व्यय (33700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम''- 36720.35 लाख रु. का अधिक व्यय (15000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 134125.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से निधियां जारी करने संबधी अधिक प्रस्तावों के प्राप्त होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण भी हुआ।

Rs.590.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.740.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals for release of funds.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2215" - "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services - Grants to District Water and Sanitation Committees, Missions, District Rural Development Agencies etc." - excess of Rs.1019.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.33700.00 lakhs); and

(II) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Water Supply-Rural Water Supply Programme-Accelerated Rural Water Supply Programme"-excess of Rs.36720.35 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.134125.00 lakhs including supplementary grant of Rs.15000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to receipt of more proposals for release of funds from various implementing agencies and also on account of re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.